अक्तूबर, 2017

हिमाचल शूरवीर हितैषी

निदेशक :

सैनिक कल्याण विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

पिन–177001

नोट :

इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरूक करने के लिए है। उचित प्राधिकार एवम् प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

हिमाचल शूरवीर हितैषी

हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publishers
Brig.
Suresh Kumar Verma
(Retd.)
Director

संदेश

अभी भी सूचना के आभाव में बहुत सारे पूर्व सैनिक राज्य सरकार एवम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तथा भ्रसन्तियों व अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। भिभाग इन कल्याणकारी योजनाओं का विवरण अपने बैवसाईट, दूरदर्शन, समाचार पत्र व अन्य प्रकाशन व प्रसारण के माध्यम से प्रचारित करने का भरसक प्रयत्न कर पूर्ण जानकारी प्राप्त करके रहा है। पूर्व सैनिकों को भी दायित्व है कि आपस में इसका का आदान प्रदान करे ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुचायें।

2. यह भी देखा गया है कि पूर्व सैनिक विभिन्न पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार अपनी योग्यता एवं दक्षता बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जिसके कारण बहुत से पद खाली रह जाते हैं और पूर्व सैनिकों को इनमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार सम्बन्धित जानकारी विभाग उपरलिखित तरीकों से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आशा के अनुरूप प्रभावित पूर्व सैनिकों तक सूचना नहीं पहुंच रही है। शूरवीर हितैषी पत्रिका का प्रकाशन भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

3. मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रयत्न सफल होगें। सैनिक कल्याण विभाग हर समय आपकी सहायता के लिये तत्पर है।

जय हिन्द।

आपका शुभचिन्तक

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत
निदेशक, सैनिक कल्याण, हि0 प्र0
फोन : 01972–221854, 224659

विभागीय कार्यकलाप/गतिविधियां

रोजगार :– पूर्व सैनिकों की पुर्नस्थापना एवं पुर्नरोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से भूतपूर्व सैनिकों के पदों की मांग हिमाचल प्रदेश,भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों जैसे कि Police Constable, TGT, PGT, Police Driver, T- Mate,Pharmacist, JE (Civil) पूर्व सैनिकों के साक्षत्कार सितम्बर 2017 को लिये गये है।

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पूर्व सैनिकों के नाम जनवरी 2017 से सितम्बर 2017 तक 521 पूर्व सैनिक मनोनीत किये है, जिसका व्यौरा इस प्रकार से है :–

Sr No	Name of Designation	Total Nos
1.	Ayurveda Pharmacist	01
2.	Clerk	26
3.	Chowkidar	02
4.	Computer Operator	01
5.	Constable	167
6.	Driver	20
7.	Electrician	10
8.	Fisherman	01
9.	Forest Guards	89
10.	JBT	02
11.	JE (Civil)	05
12.	JE (Elect)	08
13.	Jr Clerk	14
14.	Jr Team Mate	83
15.	Peon	18
16.	JOA (IT)	96
17.	PET	21
18.	PGT (Economics)	03
19.	PGT (English)	05
20.	PGT (Hindi)	05

21.	Pump Opr	39
22.	Steno Typist	02
23.	TGT (Arts)	33
24.	TMPA	01
25.	Jr. Tech Fittter	06
26.	PGT (History)	02
27.	Drawing Master	02
28.	Fishery Field Assistant	01
29.	Panchayak Sahayak	01
30.	Constable Driver	05
31.	Welfare Organisor	06
32.	Fireman	02
33.	Junior Office Assistant (Accounts)	03
34.	Lineman	14
35.	Animal Husbandry Attendant	11
36.	Binding Machine Attendant	01
37.	Belder	09
38.	Election Kanungo	04
39.	Exicise & Taxation Insp	04
40.	Radiographer	01
41.	Seme skilled worker	07
42.	Supervisor	03
43.	Unskilled worker	03
44.	Mali/belder	11
45.	Multipurpose worker	22
46.	Press Mazdoor	02
47.	Panchayat Insp	01
48.	Fitter	02
49.	Insp Co-operative Society	06
50.	Insp Grade I	06
51.	JE (Mech)	01
52.	Jr. Helper	24
	G. Total	**812**

Ex-Gratia Grant :-

युद्व में शहीद हुए सैनिकों व अपंग हुए सैनिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि की दरो को दिंनाक 13 जुलाई 2017 को बढाया गया, जो इस प्रकार से है :–

(a)	Battle Casualties (Defence & Para Military Forces)	- 20.00 lakhs
(b)	Physical Casualties (Defence & Para Military Forces)	- 5.00 lakhs
(c)	Disabled Soldiers of Armed Forces with 50 % disability Or above and discharge out of Military Service on account Of their disability (Defence & Para Military Forces)	- 2.50 lakhs
(d)	Disabled Soldiers of Armed Forces with disability below 50% and discharge out of Military Service on account of Their disability (Defence & Para Military Forces)	- 1.00 lakh

जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12 सैनिक परिवारों को अनुग्रह अनुदान मुबलिग 26,25,000/– रूप्ये की राशि प्रदान की गई।

कारगिल विजय दिवस :-

26 जुलाई 2017 को भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्व में भारत की विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया गया । इस दिन कारगिल युद्व में शहीद हुये सैनिकों के प्रति सभी भारतीयों ने श्रंद्वाजलि अर्पित की और शहीदों की बलिदानों की गाथाओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम की जागृति पैदा की। इस युद्व में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रदेश को बहुत सारे सैनिकों ने अपने प्राणो का सर्वोच्च बलिदान देकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। सैनिक कल्याण विभाग इन योद्वाओं के परिवारों का आभार व्यक्त करता है तथा आश्वासन दिलाना चाहता है कि हम सदैव उनके साथ है तथा उनकी सहायता करने के लिये तत्पर है। हिमाचल प्रदेश से कारगिल युद्व में 54 सैनिक शहीद हुए थें। इन शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतू विभाग के तत्वाधीन विभिन्न स्थानो पर कार्यक्रम आयोजित किए गये।

सभी शहीदों को शत-शत प्रणाम

युद्व स्मारक संग्रहालय :- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2017 को युद्व स्मारक संग्रहालय धर्मशाला का उद्‌घाटन किया गया। इस युद्व स्मारक संग्रहालय को बनवाने हेतू हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुबलिग 8 करोड़ की राशि आबंटित की गई।

<u>पूर्व सैनिकों की रैली व Vetrans Outreach/Interaction Programme</u> :

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश द्वारा 04 सितम्बर 2017 को स्टेशन मुख्यालय पालमपुर, 23 सितम्बर 2017 को बंगाणा (जिला ऊना) और 27 सितम्बर 2017 को दौलतपुर (जिला ऊना) में पूर्व सैनिकों की रैली व Vetrans Outreach/Interaction Programme समारोह में भाग लिया । निदेशक सैनिल कल्याण द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वारे में व विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की व उनका समाधान किया ।

.**सैनिक विश्राम गृह सोलन का शिलान्यास :-** माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलो द्वारा दिंनाक 01 अगस्त 2017 को सैनिक विश्राम गृह सोलन का शिलान्यास किया गया ।

वीर नारियों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए विभिन्न योजनाये

हि० प्र० राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधांए

1. रोजगार

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों में श्रेणी I,II,III,IV के पदों पर पूर्व सैनिकों और शहीद के एक आश्रित जो कि युद्व / युद्व जैसी स्थिति में शहीद हुए है या युद्व में अपंग हुए व सिविल रोजगार के लिये अयोग्य हैं को रोजगार हेतु 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के अधीन एक विशेष पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में संचालन कर रहा है। इस विशेष रोजगार कक्ष द्वारा रोजगार सहायता में प्राथमिकता निम्नलिखित प्रकार से है :–

प्राथमिकता– I	अपंग पूर्व सैनिक जो कि युद्व समय में अपंग हुए
	अपंग पूर्व सैनिक जो कि शांतिकाल में अपंग हुए और जिनकी सैन्य सेवा में अपंगता 50 प्रतिशत से अधिक है।
प्राथमिकता– II	कोई नहीं
प्राथमिकता– II (A)	सशस्त्र सेना के युद्वमें शहीद हुए सैनिक का एक परिवार का सदस्य

अपंग पूर्व सैनिक जो कि युद्वसमय में अपंग हुए है और सिविल रोजगार करने में असमर्थ है, के परिवार के एक सदस्य को ।

प्राथमिकता–।।। सशस्त्र सेना के पूर्व कार्मिक जिन्होने सैन्य सेवा से सेवानिवृत हुए है (पूर्व सैनिक)

पंजीकरण

सेवानिवृति होने वाले सैनिक, रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृति से एक साल पहले अपनी क्षेत्रीय रोजगार कार्यलय में पंजीकरण करवा सकते है। अगर रोजगार हेतु पंजीकरण किसी कारणवश इस काल के अंतर्गत नहीं हो सका हो तो वो सेवानिवृति के बाद भी अपना पंजीकरण करवा सकतें है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पंजीकरण के बाद सभी प्रार्थीयों के कार्ड भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर को भेजतें है।

सेवानिवृति के बाद पंजीकरण करने की विधि

आवेदक अपनी योग्यता अनुसार अपने रोजगार कार्यालय में तीन अलग–अलग व्यवसायों में नाम पंजीकरण करवा सकता है, इसके लिए उसे अपने सभी सम्बन्धित दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण करने से पहले भूतपूर्व सैनिकों को अपनी योग्यता के आधार पर सही तरीके से व्यवसाय का चयन करना चाहिए। आवेदक को अपना पंजीकरण का नवीनीकरण समय अवधि यानि तीन वर्ष में करवा लेना चाहिए, जिस के लिए उसे अपना X-10 कार्ड अपने रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रार्थी का पंजीकरण रदद हो जायेगा ।

अगर आवेदक ने पंजीकृत व्यवसायों में से कोई व्यवसाय बदली करना तो भी उसके अपने रोजगार कार्यालय में ही होगा। इसके इलावा अगर उसका पंजीकरण नवीनीकरण न होने की वजह से रदद हो गया हो तो फिर से दोवारा/नया पंजीकरण भी उसी कार्यालय में होगा। व्यवसाय बदली करने पर वरिष्ठता तिथि उसी दिन से मान्य होगी इसलिये पहली बार नाम दर्ज करवाते समय ही सोच समझ कर योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करें ताकि वरिष्ठता का लाभ भविष्य में न गवाना पडें। पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिये मनोनयन की प्रकिया मोटे तौर पर इस प्रकार से है।

- रिक्तियों की उपलब्धता
- पंजीकरण की तिथि
- आवेदक द्वारा पंजीकरण करवाते समय दिया गया विकल्प
- पात्रता जैसे कि योग्यता, संविधिक,पंजीकरण इत्यादि (यदि आवेदक द्वारा बाद में अर्जन की गई योग्यता की गणना उस तिथि से करना)
- वार्षिक नामिका (पैनल) :- मैरिट (वर्ष की संख्या एक वर्ष का 01 अंक ओर अधिकतम 25 अंक), चरित्र – 05, सेवानिवृति का कारण– 05, श्रेणी – 05, पंजीकरण की तिथि – 10 – 05 (कुल अंक–50)
- नये बुलावा पत्र केवल तभी निकाले जाते है जब तक पुराना पैनल (नामिका) को निर्गम/खाली न हो जाये (केवल पुलिस सिपाही के पद या उन पदों को छोड़कर जिनमें पात्रता या योग्यता में बदलाव हुआ हो।)

<u>पूर्व सैनिकों के बच्चों और उनके आश्रितों के लिए नौकरियां</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिये है। लेकिन किसी पोस्ट के लिए पात्रता और

योग्यता अनुसार पूर्व सैनिक उपलब्धत नहीं होते है तो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं नियमानुसार, दो वर्ष बाद ऐसी पोस्टों का अप्राप्यता प्रमाण पत्र (Non Availablity Certificate) सम्बन्धित विभाग को दिया जाता है। जिसके उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा इन पोस्टों को पूर्व सैनिकों के बच्चों को नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रदान की जाती है।

(पूर्व सैनिक या परिवार का कोई एक सदस्य इस आरक्षण के प्रति नौकरी प्राप्त कर सकता है।)

2. विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यवसायक संस्थानों में आरक्षण

1 जिन पदों के लिए पूर्व सैनिक या आश्रित उपलब्ध न हों वह पद पूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी से भरे जाते है।

2 प्रत्येक औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न इंजिनियरिंग तथा गैर इंजिनियरिंग शिक्षा में पाँच स्थान आरक्षित हैं। पूर्व सैनिक को प्रवेश के लिए आयु में छूट देकर उनके लिए उपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक है। उपरोक्त स्थानों हेतू पूर्व सैनिक न होने की स्थिति में यह स्थान सैनिकों के बच्चो से भरे जाते हैं।

3 जे बी टी कक्षाओं में 15 प्रतिशत आरक्षण।

4 इन्दिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला व टांडा में प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए एक स्थान तथा सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए एक स्थान आरक्षित।

5 डैंटल कालेज शिमला में प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए एक स्थान आरक्षित।

6 डैंटल कालेज सुन्दरनगर में प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए एक स्थान आरक्षित।

7 इंजिनियरिंग कोर्स के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कुल स्थानों का चार प्रतिशत किन्तु कम से कम एक स्थान आरक्षित।

8 सरकारी बहुशिल्पी संस्थाओं में पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित।

9 कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर में स्नातक स्तर के प्रशिक्षण हेतु पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए दो प्रतिशत स्थान आरक्षित। प्रवेश में पुरस्कार विजेंताओं के बच्चों को वरीयता।

3. <u>वित्तिय सहायता</u>

1 पुर्नस्थापना एवं पुर्ननिर्माण विशेष निधि से उन पूर्व सैनिकों व उनके बच्चों को जिनकी वार्षिक आय सीमा 3 लाख रु0 है को निम्नलिखित छा़त्रवृति प्रदान की जाती है :–

स्नातकोतर	– 500/– प्रतिमास
पालीटैक्नीक तथा कृषि विश्वविद्यालय	– 500/– प्रतिमास
डाकटरी, इंजिनियरिंग तथा आयुर्वैदिक संस्थान जैसे व्यवसायिक कोर्स	–1000/– प्रतिमास
बी. एड, जे.बी.टी, डैसर डिसपैसर एल0टी0 ओ0टी0, आर्टस, समान्य स्वास्थय सेवायें, पटवार कोर्स, वैटनरी स्टाफ कोर्स व अन्य	– 500/– प्रतिमास

सेवानिवृति के पश्चात कोर्सो/प्रशिक्षणों को छोड़कर अन्य प्रतिमास कोर्स केवल पूर्व सैनिकों के लिये — 500/— प्रतिमास

आई0टी0आई/आई0आर0डी0आई कोर्स प्रतिमास — 500/— प्रतिमास

अपंग पूर्व सैनिकों को क्वीन मैरी तकनीकी स्कूल पुणे में पुनः स्थापना प्रतिमास प्रशिक्षण हेतु — 2000/— प्रतिमास

2 पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के बच्चों को सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के लिये पुनःस्थापना एवम पुनःनिर्माण विशेष निधि से कोचिंग हेतू प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि मुबलिग 6,000/— रूप्ये दी जा रही है ।

3 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्वविधवाओं को पुत्री की शादी हेतू मु0 50000/— रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ।

4 अनुग्रह अनुदान की अदायगी :— युद्व में मारे गए व अपंग हुए सशस्त्र कर्मियो के परिवारों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई 2017 निम्नलिखित अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जा रहा है :

(a) Battle Casualties (Defence & Para Military Forces) - 20.00 lakhs

(b) Physical Casualties (Defence & Para Military Forces) - 5.00 lakhs

(c) Disabled Soldiers of Armed Forces with 50 % disability - 2.50 lakhs

Or above and discharge out of Military Service on account of their disability (Defence & Para Military Forces)

(d) Disabled Soldiers of Armed Forces with disability below 50% and discharge out of Military Service on account of Their disability (Defence & Para Military Forces) - 1.00 lakh

13 जुलाई 2017 से पहले अनुग्रह अनुदान की दरें इस प्रकार थी :-

1. Rs. 5.00 Lac to the next of kin of Battle Causality.
2. Disabled soldiers during operation @ Rs. 1.50 Lac (50% disability or above) and Rs. 75,000/- below 50% disability).
3. Members of Para Military Forces, who die in active operations @ Rs. 1.50 lac.
4. Physical Causality @ Rs. 35,000/-.

5 निम्नलिखित पुरस्कार विजेता सैनिक कर्मचारी/अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश के निवासी है, को पुरस्कार के आगे दर्शाई गई धन राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय समय पर बढ़ाया है दिंनाक 01 अप्रैल 2016 से यह राशि निम्न प्रकार से दी जा रही है :–

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	नकद इनाम	जमीन के बदले धनराशि	वार्षिकी
क.	परमवीर चक्र	22,500/–	1,50,000/–	3,00,000/–
ख.	महावीर चक्र	15,000/–	1,00,000/–	2,00,000/–
ग.	वीर चक्र	7,000/–	50,000/–	1,00,000/–
घ.	कीर्ति चक्र	12,000/–	75,000/–	1,50,000/–
ङ.	अशोक चक्र	20,000/–	1,25,000/–	3,00,000/–

च.	शौर्य चक	5,000 / —	40,000 / —	1,00,000 / —
छ.	मैशन इन डिस्पैचिज	2,000 / —	10,000 / —	10,000 / —
ज.	सर्वोतम युद्व सेवा मैडल	17,000 / —	1,10,000 /	8,000 / —
ञ.	युद्व सेवा मैडल	4,000 / —	30,000 / —	8,000 / —
ट.	सेना मैडल (Gallantry)	3,000 / —	20,000 / —	10,000 / —
ठ.	पी वी एस एम	15,000 / —	1,00,000 / —	10,800 / —
ड.	उतम युद्व सेवा मैडल	10,000 / —	65,000 / —	8,000 / —
ढ.	ए वी एस एम	7,000 / —	50,000 / —	9,600 / —
ण.	सेना मैडल (Distinguished)	3,000 / —	20,000 / —	8,000 / —
त.	बी एस एम	3,000 / —	20,000 / —	8,000 / —

6 चक्रा सीरीज विजेताओं को हिमाचल प्रदेश सरकार दिंनाक 01 अप्रैल 2016 से एक मुश्त राशि निम्नलिखित के अनुसार अदा की जा रही है :—

कं. सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त राशि
क.	परमवीर चक	30,00,000 / —
ख.	अशोक चक	30,00,000 / —
ग.	महावीर चक	20,00,000 / —
घ.	कीर्ति चक	15,00,000 / —
ड.	वीर चक	10,00,000 / —
च.	शौर्य चक	10,00,000 / —

7. दो बार एक ही नाम का शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को नकदी इनाम :— हिमाचल प्रदेश सरकार उन शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जो जिस पुरस्कार से एक

बार विजयी हो चुके हैं और दोबारा उसी पुरस्कार से विजयी होते हैं को निम्नलिखित धनराशी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी जाती है।

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	नकद इनाम (रूपये)	वार्षिकी
क.	परमवीर चक्र	22500/–	1000/–
ख.	अशोक चक्र	20,000/–	800/–
ग.	महावीर चक्र	15000/–	400/–
घ.	कीर्ति चक्र	12000/–	350/–
ड.	वीर चक्र	7000/–	300/–
च.	शौर्य चक्र	5000/–	250/–
छ.	सेना/नौसेना/ वायु सेना मैडल	3000/–	250/–
ज.	मैंशन इन डिस्पैचिज	2000/–	150/–

(पैरा 7 में दरों को मूल पदक के समकक्ष दर करने हेतू प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है)

8 सरकार उन पूर्व सैनिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो तथा वे किसी प्रकार की कोई पैन्सन नहीं ले रहे हों और जिनकी वार्षिक आय 35,000/– रु0 से कम हो, को 500/– रु0 व द्वितिय विश्व युद्व के पूर्व सैनिकों को 3000/– रु0 प्रतिमाह की दर से वृद्वावस्था आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

9 झण्डा दिवस निधि से सहायता :– झण्डा दिवस निधि से अति निर्धन पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को उनकी निर्धनता के आधार पर मुबलिग 10,000/– रूप्ये आर्थिक सहायता दी जाती है।

10 हिमाचल प्रदेश सरकार युद्वजागीर मुगलिग 5000/–रूपये प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है ।

11 कैन्टीन सुविधाएं :– प्रदेश सरकार ने सेवारत / पूर्व सैनिकों को सी एस डी कैन्टीन द्वारा बेचे गए सामान पर बिक्री कर में छूट दी है।

केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें

1. **शैक्षणिक सुविधाएं :-** सैनिक स्कूलों में सेवारत/पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। प्रदेश में एक सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में स्थित हैं।

2. **मिल्ट्री स्कूलों में आरक्षण :-** मिल्ट्री स्कूलों में सेवारत/पूर्व जे सी ओ/ओ आरज के बच्चों को 67 प्रतिशत तथा अधिकारियों के बच्चों को 20 प्रतिशत आरक्षण है। प्रदेश में एक मिल्ट्री स्कूल चैल (शिमला हिल्ज) में स्थित है।

3. केन्द्र सरकार ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ECHS के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

4 **पूर्व सैनिकों के लिए पुर्नवास प्रशिक्षण :-** केन्द्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिऐ पुर्नवास प्रशिक्षण 1983–84 में आरम्भ किया है। इसका उद्वेश्य उन पूर्व सैनिकों को पुर्नवास प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिला है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि एक मास से छः मास तक हाती है।

5 केन्द्र सरकार ने परमवीर चक्र महावीर चक्र तथा कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं को इण्डियन एयर लाईन्ज मे हवाई यात्रा करने पर अपनी घरेलू उडान के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दे रखी है।

6 केन्द्र सरकार रक्षा मत्रांलय ने परमवीर चक्र महावीर चक्र तथा कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं तथा उनकी विधवाओं को रेलवे के प्रथम/ए सी टू टायर श्रेणी में यात्राकरने पर किराए में पूर्ण छूट दे रखी है।

क) केन्द्र सरकार नें युद्वविधवाओं को हवाई यात्रा करने पर अपनी घरेलू उडान के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी है।

ख) केन्द्र सरकार ने भरतीय रेलवे में युद्व विधवाओं का द्वितिय श्रेणी में यात्रा करने के लिए किराए में 75 प्रतिशत की छूट दी है।

7 **<u>शैक्षणिक सुविधाएं</u> :-**

(क) केन्द्र सरकार ने युद्वविधवाओं के बच्चों को मुफत शिक्षा देने की सुविधा दे रखी है ।

(ख) युद्व विधवाओं के बच्चों को व्यवसायिक कालेजों मे आरक्षण।

8 **<u>तेल उत्पादन एजैंसी</u> :-** प्राकृतिक गैस और पैट्रोलियम मन्त्रालय भारत सरकार ने तेल उत्पादन एजैंसी जैसे कि एल पी जी मिट्टी का तेल और पैट्रोल पम्प इत्यादि का रक्षा कर्मियों के लिए निम्नानुसार 7.5 प्रतिशत आरक्षण किया है :–

(क) शौर्य पुरस्कार विजेताओं की विधवाएं / आश्रित।

(ख) युद्व में अपंग हुए सैनिक।

(ग) युद्वविधवाएं आश्रित

(घ) सामान्य परिस्थितियों किन्तु सेना सेवा के दौरान हुई मृत्यु वाले सैनिको की विधवाएं / आश्रित।

9 **<u>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :-</u>**

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के लिये ऑन लाईन **(On line)** पंजीकरण तथा कट ऑफ डेः

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हवालदार रैंक तक सभी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के फार्म on line बैव पोर्टल www.ksb.gov.in का आरम्भ मार्च **2016** में किया गया है। इसके लिये आवेदक को पहले ऑन लाईन पंजीकरण करने उपरांत लॉग इन करना पडेगा। ऑनलाईन पंजीकरण करने हेतु आवेदक को ई–मेल आई डी, फोन नम्बर, आर्मी नम्बर, नाम, भर्ती व सेवानिवृति की तिथि, आधार नम्बर, घर का पता, बैंक का नाम खाता नम्बर व IFSC कोड एवम भूतपूर्व सैनिक का पहचान कार्ड संख्या इत्यादि उपलोड करने होगे । पंजीकृत करने उपरांत पूर्व सैनिक केन्द्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के लिये आवेदन कर सकतें है। इन योजनाओं को आबेदन करने की कट ऑफ डेट निम्न प्रकार से है :–

Sr No	**Grant**	**Amount**	**Financial Year**	
			Appln FY/Date/AY	**Last date of uploading by ESM in FY between 01 Apr to 31 Mar**
a.	Penury (Initial)	4000/-PM	Financial Year	01 Mar
b.	Education (Up to two children)	1000/-PM	AY (aa) Class 1st to 9th and 11th (ab) Class 10th & 12th (ac) Under Graduation Classes	 30 Sep 31 Oct 30 Nov
c.	Funeral	5000/- One time	Date of death (death occurring between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 Days from death of ESM

d.	Orphan (Initial)	1000/-PM	Date of death of last alive parent occurring between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 Days from death of ESM
e.	100% Disable Child (Initial)	1000/-PM	Date of signing of disability certificate between 01 Apr to 31 Mar by Defence Medical Authority	Not to be accepted 180 Days from date of signing of the disability certificate.
f.	Vocational Trg	20,000/- one time after completion of Trg.	Vocational course between 01 Apr to 31 Mar	Days from completion of course.
g.	NDA Cadet (Initial)	1000/-PM	AY	01 Mar
h.	House Repair (a) Non 100% Disabled ESM (ab) 100% Disabled ESM (ac) Orphan daughter of all Ranks	20,000/- (Maximum)	(aa) Date of respective State Govt. order promulgating an incident as Nature Calamity between 01 Apr to 31 Mar (ab) 100% disabled ESM to apply for FY (ac) Orphan daughter of All ranks to apply for FY as no Certificate of Natural Calamity required	(aa) Not to be accepted 180 days from date of respective State Govt..order promulgating an incident as Nature Calamity. (ab) 01 Mar (ac) 01 Mar
j.	Medical	30,000/- Per Year to Non pensioner ESM	Date of discharge from Hospital or date of last prescription between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from discharge from hospital or date of last prescription.
k.	Marriage	50,000/-	Date of Marriage between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted before solemnization of marriage and 180 Days after date of Marriage

l.	Serious Diseases	1,25,000/- per year max. Rs.75,000/- per annum for treatment of cancer /dialysis	Date of discharge from Hospital or date of last prescription between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from discharge from hospital or date of last prescription
m.	Mobility Equipment	57,500/- Max	Date of disability Certificate issued or between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from date of disability or 31 Mar .
n.	Tool Kit	8,000/- per case one time	FY Date of signing of Training Certi ficate of qualification between 01 Apr to 31 Mar held by the individual to utilize tool kit	Not to be accepted 180 days from date of signing of certificate of qualification.
p.	Subsidy on home loan	1,00,000/- Max	Date of sanction of loan by bank between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from loan sanction after that renewal to be claimed by applicant every year for 5 years or return of loan whichever is earlier.
q.	Renewal of Penury		Financial Year	01 Mar
r.	Renewal of Orphan		Financial Year	01 Mar
s.	Renewal of Cadet Trg		Financial Year	01 Mar
t.	Renewal of 100% disabled child		Financial Year	01 Mar

10 प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना :-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अंतगर्त पूर्व सैनिको के बच्चों को व्यवसायिक कोर्स के लिए लड़को के लिये रूप्ये 2,000/— प्रति माह व लड़कियों के लिये रूप्ये 2250/— प्रति माह के हिसाव से छात्रवृति प्रदान की जाती है।

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

स्थित हमीरपुर -177001

शूरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतू - अभिदान फार्म (Subscription Form)

1. Army No ______________________
2. Rank ______________________
3. Name ______________________
4. Mobile Number ______________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेने चाहते है) ______________________
   ____
6. Pin Code ______________________
7. Subscription Amount ______________________
   (For life Rs. 500/-)
8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Editor **Shurveer Hitaishi Patrika** HP at Hamirpur

Place : ______________________

Dated : **(Signature of the Applicant)**

सैनिकों के आश्रितों के लिए गौंदपुर बनेहड़ा में सिलाई-कढ़ाई केंद्र आरंभ

निदेशक सैनिक कल्याण ने किया शुभारंभ, पूर्व सैनिकों व विधवाओं की सुनी समस्याएं

दौलतपुर चौक, 27 सितम्बर (परमार): गौंदपुर बनेहड़ा में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना के माध्यम से संचालित किए जाने वाले सिलाई-कढ़ाई केन्द्र का बुधवार को निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) सुरेश कुमार वर्मा ने शुभारंभ किया। इस केन्द्र में 19 पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों की पुत्रियां व पत्नियां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। उपनिदेशक सैनिक कल्याण ऊना मेजर (सेवानिवृत्त) रघुवीर सिंह ने बताया कि इस सिलाई-कढ़ाई केन्द्र का संचालन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना द्वारा किया जाएगा तथा इससे पूर्व व सेवारत सैनिकों के आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इसके उपरांत निदेशक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिलाभर से लगभग 150 पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं ने भाग लिया। ब्रिगेडियर सुरेश कुमार ने पूर्व सैनिकों व विधवाओं की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही निपटारा किया जबकि लम्बित समस्याओं को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को संबंधित रिकार्ड को भेजने के निर्देश भी दिए ताकि समस्याओं का जल्द निपटारा हो सके, साथ ही उन्होंने उपस्थित पूर्व सैनिकों व विधवाओं को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं बारे भी विस्तृत तौर पर अवगत करवाया।

कार्यक्रम में एस.बी.आई. बैंक शाखा दौलतपुर चौक के अधिकारियों ने भी पूर्व सैनिकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीमें ऑनलाइन, आवेदक भी बढ़े

बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मिले 750 आवेदन

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीमें ऑनलाइन होने से पूर्व सैनिकों के आवेदनों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीमों के लिए जनवरी 2017 से पहले ऑफलाइन फार्म भरकर आवेदन किया जाता था।

इस कारण यह स्कीमें अधिकतर पूर्व सैनिकों तक नहीं पहुंच पाती थीं। इन स्कीमों के लिए पेंशनर, नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक और अपंग पूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। इस साल से यह स्कीमें ऑनलाइन शुरू कर दी हैं। जिस कारण स्कीमों के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिकों के लिए हवलदार रैंक तक के सैनिक के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए बोर्ड द्वारा एक हजार रुपये प्रति माह, बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपये केवल दो बच्चों के लिए और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लड़कों की पढ़ाई के लिए 24 हजार प्रतिवर्ष व लड़कियों के लिए 27 हजार प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।

बीते साल आए थे ऑफलाइन एक सौ पचास आवेदन, ऑनलाइन होने से बढ़ी संख्या

वर्ष 2017 में पूरे प्रदेश से 750 आवेदन आए हैं। वहीं ऑफलाइन स्कीमों के समय 155 आवेदन बीते वर्ष में आए।

स्कीमों के ऑनलाइन होने से इन आवेदनों में चार गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वहीं प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पिछले वर्ष 72 आवेदकों ने ऑफलाइन आवेदन किया था। इस वर्ष इस छात्रवृत्ति के लिए 80 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं बच्चों की शादी के लिए प्रदेशभर से पिछले वर्ष 20 आवेदन आए थे।

इस वर्ष स्कीमें ऑनलाइन होने से इन आवेदनों की संख्या 140 हो गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीमों में अपंग सैनिकों को ट्राईसाइकिल के लिए 57 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं नॉन पेंशनर सैनिकों को स्कीम के तहत एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। हिप्र सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने बताया कि स्कीमें ऑनलाइन होने से इस वर्ष आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्व सैनिक बोर्ड की वैबसाइट पर आवेदन कर सकता है। आवेदन

पूर्व सैनिकों के कोटे से पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 28 से

500 पद भरने के लिए सैनिक कल्याण विभाग के रेस्ट हाउस में साक्षात्कार

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में पांच सौ पद भरने के लिए 28 और 29 जुलाई को साक्षात्कार लिए जाएंगे। सैनिक कल्याण विभाग ने साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर विभिन्न पदों के लिए योग्य पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए हैं। पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में मैट्रिक लेवल कर्मचारी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लिपिक के पदों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत मैट्रिक लेवल कर्मचारियों के 150 पदों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तीन सौ पदों और लिपिक के 50 पदों के लिए 28 व 29 जुलाई को सैनिक कल्याण विभाग के रेस्ट हाउस में साक्षात्कार लिए जाएंगे।

28 जुलाई को मैट्रिक लेवल कर्मचारी और जेओए के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे जबकि लिपिक पदों के लिए 29 जुलाई को साक्षात्कार लिए जाएंगे। विभाग की ओर से मैट्रिक लेवल के पदों के लिए वर्ष 2012 तक रजिस्टर्ड हुए अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। वहीं जेओए के लिए अप टू डेट

मैट्रिक लेवल एंट्री, जेओए और लिपिक के भरे जाएंगे विभागों में पद

अभ्यर्थी और लिपिक के लिए दिसंबर 2014 तक रजिस्टर्ड अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग लेंगे। जेओए व लिपिक के पदों के लिए अभ्यर्थी जमा दो कक्षा पास व उनके पास एक वर्ष का सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। लिपिक व जेओए पदों के लिए अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी में अभ्यर्थी की स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।

उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि 28 व 29 जुलाई को विभाग की ओर से पूर्व सैनिकों के कोटे से मैट्रिक लेवल कर्मचारी, जेओए व लिपिक के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग ने योग्य अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए हैं।

H.P. STATE HANDICRAFTS & HANDLOOM CORPORATION LTD

Kasumpti, Shimla-171009. Phone : 0177-2621557. Fax No. : 0177-2626234

EXPRESSION OF INTEREST

H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Limited invites Expression of Interest from bidders / parties for allotment of "Sale Counters" under Minimum Sale Guarantee policy in the following Emporia of the Corporation for the period of three years on the same terms and candidates already uploaded on the website of the Corporation :

Himachal Emporium : New Delhi, Shimla, Reckong Peo, Chamba, Mandi & Proposed Himachal Emporium, Bathu (Una.)

The Bid / "Tender Document" along with relevant details terms and conditions, eligibility criteria etc. in respect of above emporia can be downloaded from the official website of the Corporation http://www.himcrafts.com

The Sealed "Bid Offers" / documents must reach at Head Office, Shimla address as mentioned above on **9th August, 2017 before 4:00 P.M.** and the same will be opened on **10th August, 2017 at 11:00 A.M.** The Corporation shall reserve the right to accept or reject any or all offers without giving any reason/s.

(R.K. Gautam)
Managing Director

सेना की मेडिकल कोर का कर्नल रिश्वतखोरी में गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 18 सितंबर।

सीबीआइ ने 10 लाख रुपए की कथित रिश्वतखोरी को लेकर थलसेना के मेडिकल कोर के एक कर्नल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक क्लर्क और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण और 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया' (एमसीआई) द्वारा सीटों की मान्यता के बारे में सूचनाएं लीक की। सीबीआइ की विशेष अदालत ने सभी चारों आरोपियों को पांच दिन की हिरासत में भेज दिया।

सेना के कर्नल अजय कुमार सिंह एमसीआइ में आकलनकर्ता के तौर पर नियुक्त थे। एक बिचौलिये को

बाकी पेज 8 पर

सूबे में पूर्व सैनिक कोटे से कर्मचारियों की भर्ती शुरू

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 350 पूर्व सैनिक फेल

टाइपिंग टेस्ट ही पास नहीं कर पाए, मात्र 44 अभ्यर्थी हुए चयनित

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

सैनिक कल्याण विभाग की ओर से पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों की भर्ती में 356 पूर्व फौजी फेल हो गए हैं।

इन पदों के लिए पात्रता न होने के कारण ये पूर्व सैनिक फेल हुए हैं। विभाग ने जेओए के तीन सौ पदों के लिए पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे थे। चार सौ पूर्व फौजियों को विभाग ने मई माह में साक्षात्कार के लिए बुलाया था।

टाइपिंग में फेल, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा न होने पर रिजेक्ट

साक्षात्कार के बाद केवल 250 पूर्व सैनिकों का ही टाइपिंग टेस्ट के लिए चयन हो पाया। इनमें से 44 पूर्व फौजी ही यह टेस्ट कर पाए। शेष सभी अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। टाइपिंग टेस्ट में फेल होना और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा न होना पूर्व सैनिकों की अपात्रता का कारण बताया गया है।

उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि विभाग ने जेओए के 300 पदों को भरने के लिए 400 पूर्व फौजियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। टाइपिंग टेस्ट के बाद मात्र 44 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा न करना और टाइपिंग टेस्ट में फेल होना इन पूर्व सैनिकों की अपात्रता का कारण है।

बड़ी मात्रा में पूर्व सैनिक इन पदों के लिए अपात्र हो रहे हैं, जिसकी वजह से विभाग के पास जेओए के खाली पदों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा करने को कहा है।

पूर्व सैनिकों के बच्चों को अब ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे 6 हजार

भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहले मिलते थे 1500 रुपये सालाना

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से अब पूर्व सैनिकों के बच्चों को सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ट्रेनिंग के लिए छह हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष मिलेगी। पहले यह राशि 15 सौ रुपये थी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

सैनिक कल्याण विभाग ने सरकार से इस राशि को 15 सौ से बढ़ाकर छह हजार करने की मांग की थी। यह राशि उन पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलेगी, जो हवलदार के रैंक तक ही सेवानिवृत्त होकर आए हैं। इसके लिए विभाग ने पहले पूर्व सैनिक की वार्षिक आय लिमिट एक लाख रुपये तक रखी थी, जिसे भी सरकार ने बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया है।

साथ ही अन्य कोर्सों के लिए भी पूर्व सैनिकों के बच्चों को पांच सौ रुपये की छात्रवृत्ति प्रति माह मिलेगी।

लाभ के लिए हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की आय सीमा भी बढ़ाई

सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि पूर्व सैनिकों के बच्चों को एसएसबी ट्रेनिंग के लिए अब छह हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रतिवर्ष मिलेगी।

इन कोर्सों में पालीटेक्निक, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, आयुर्वेदिक पढ़ाई, बीएड, जेबीटी, आर्ट्स, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, पटवारी कोर्स, वेटरनरी के लिए विभाग व सरकार द्वारा पांच सौ रुपये की छात्रवृत्ति हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक के बच्चों को दी जाएगी।

UNIVERSAL GROUP OF INSTITUTIONS, LALRU (PB)

"Think Career, Think Universal"

Best Engineering College for academic excellence and placements

B.TECH
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Comm. Engineering
- Computer Science Engineering

Centre of Excellence

Excellent Placement Record

27+ Campus Placement Drives | 3000+ Jobs Offered | 250+ Top Notch Companies Visited

M.Tech | Polytechnic | MBA | BBA | BCA | LLB | BA-LLB | M.Ed | B.Ed | ETT | B.Pharmacy | ANM | GNM | ATHM | HMCT | BA | B.Com | B.Sc - Agriculture

CAMPUS: CHANDIGARH-AMBALA HIGHWAY, LALRU, PUNJAB-140501

092160-77002 | Toll Free: 1800 419 0533 | www.ugi.ac.in

बिहार सरकार

मूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली का संदेश।

KENDRIYA SAINIK BOARD SECTT

DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

MINISTRY OF DEFENCE

ALL EX-SERVECEMEN, WIDOWS & THEIR DEPENDENTS ARE REQUESTED TO UPDATE THEIR CONTACT DETAILS BY REGISTERING ON WEBSITE www.ksb.gov.in or www.desw.gov.in. THIS WILL ASSIST IN CONTACTING/UPDATING THEM ON WELFARE SCHEMES/PENSION ORDERS/GRIEVANCES REDRESSAL AND RELATED ISSUES.

Sd/-
Kendriya Sainik Board Sectt,
Ministry of Defence

PR. No. 5809(Home) 2017-18

जनता को तंग क्या करना, जाना जेल और पानी भरना

बिहार सरकार

पुलिस में पूर्व सैनिकों के भरे जाएंगे 177 पद

151 जीडी, 26 चालकों के लिए 25 और 26 सितंबर को साक्षात्कार

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

पुलिस विभाग में पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले 177 पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन 25 और 26 सितंबर को किया जाएगा। प्रदेश भर में पूर्व सैनिकों के कोटे से पुलिस विभाग में जीडी के 151 पद और चालकों के 26 पद भरे जाने हैं।

इन पदों को भरने के लिए विभाग ने साक्षात्कार के लिए 500 पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। जिन पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं, उनका विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। यह साक्षात्कार सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में निर्धारित

500 पूर्व सैनिकों को भेजे गए हैं कॉल लेटर, सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय हमीरपुर में होंगे साक्षात्कार

किए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जिला हमीरपुर से जून 2016 तक सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को व अन्य जिलों से दिसंबर 2016 तक सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास अपने संपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, जिनमें डिस्चार्ज पुस्तिका, शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या इसके समकक्ष का प्रमाण पत्र व उसकी छायाप्रतियां, जाति, जनजाति का प्रमाण पत्र व एक्स-10

2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी की उम्र 1 जुलाई 2017 तक 45 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। साक्षात्कार के दिन मूल हिमाचली के प्रमाण पत्र सहित पूर्व सैनिक पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी का नाम पुलिस कांस्टेबल के लिए रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। चालकों के पदों के लिए एचटीवी/एलएमवी वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना अनिवार्य है।

उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि 25 सितंबर को 278 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे और बाकी के साक्षात्कार 26 सितंबर को

पूर्व सैनिकों के लिए शिविर 23-24 को

ऊना। जिला के पूर्व सैनिकों, विधवाओं और वीर नारियों के लिए सहायता कैंप बीडीओ कार्यालय बंगाणा में आयोजित किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (सेवानिवृत्त) मेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि शिविर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सहयोग से 8 मैक ईन्फ (7 पंजाब) केयर ऑफ 56 एपीओ की ओर से 23 से 24 सितंबर तक सुबह 10:30 बजे से प्रतिदिन शाम तक जिला के समस्त पूर्व सैनिकों, विधवाओं व वीर नारियों के लिए सहायता कैंप आयोजित किया जाएगा। शिविर में (सेवानिवृत्त) ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश के अलावा सेना के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने जिला से सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियों से आग्रह किया है कि वे कैंप में आएं और समस्या लिखित रूप से दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें। इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। बुजुर्ग सैनिक वर्ग के हित में सेना और सैनिक कल्याण विभाग की ओर से बनाई कार्य प्रणाली की व्यवस्था को देखने के लिए शिविर में आने वाले बुजुर्ग सैनिकों का विशेष रूप से स्वागत है। उन्होंने बताया कि कैंप में पेंशन विसंगतियों की टिप्पणी, सीएसडी, मेडिकल चेकअप, वित्तीय सहायता/जरूरतमंद को गरीबी सहायता, वन रैंक वन पेंशन की जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो

बंगाणा में सुनी जाएंगी सैनिकों की समस्याएं

ऊना, 20 सितम्बर (कंवर): जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सहयोग से 8 मैक ईन्फ (7 पंजाब) केयर ऑफ 56 ए.पी.ओ. द्वारा 23 से 24 सितम्बर तक प्रातः 10:30 बजे से प्रतिदिन सायं तक जिला के समस्त पूर्व सैनिकों, विधवाओं व वीर नारियों के लिए (वेटरनस आऊटरीच कार्यक्रम) एक सहायता कैंप बी.डी.ओ. कार्यालय बंगाणा के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी उपनिदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मेजर (सेवानिवृत्त) रघुवीर सिंह ने दी। शिविर में ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) सुरेश कुमार वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सेना के उच्च अधिकारी भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैंप में पैंशन विसंगतियों की टिप्पणी, सी.एस.डी., मैडीकल चैकअप, वित्तीय सहायता/जरूरतमंद को गरीबी सहायता, वन रैंक-वन पैंशन से संबंधित सुविधाएं जानकारियां प्रदान की जाएंगी।

पूर्व सैनिकों के लिए शिविर 24-25 को

ऊना। जिला के पूर्व सैनिकों, विधवाओं और वीर नारियों के लिए सहायता कैंप बीडीओ कार्यालय बंगाणा में आयोजित किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (सेवानिवृत्त) मेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि शिविर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सहयोग से 8 मैक ईन्फ (7 पंजाब) केयर ऑफ 56 एपीओ की ओर से 23 से 24 सितंबर तक सुबह 10:30 बजे से प्रतिदिन शाम तक जिला के समस्त पूर्व सैनिकों, विधवाओं व वीर नारियों के लिए सहायता कैंप आयोजित किया जाएगा। शिविर में (सेवानिवृत्त) ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश के अलावा सेना के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने जिला से सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियों से आग्रह किया है कि वे कैंप में आएं और समस्या लिखित रूप से दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें। इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। बुजुर्ग सैनिक वर्ग के हित में सेना और सैनिक कल्याण विभाग की ओर से बनाई कार्य प्रणाली की व्यवस्था को देखने के लिए शिविर में आने वाले बुजुर्ग सैनिकों का विशेष रूप से स्वागत है। उन्होंने बताया कि कैंप में पेंशन विसंगतियों की टिप्पणी, सीएसडी, मेडिकल चेकअप, वित्तीय सहायता/जरूरतमंद को गरीबी सहायता

सुविधा | केंद्र, प्रदेश सरकार की योजनाएं, एक परिवार की दो बेटियां आएंगी दायरे में

पूर्व सैनिकों, वार विडोज की बेटियों की शादी पर 50 हजार देगी सरकार

एक ही तरफ से मिलेगा लाभ

तीन गुना तक बढ़ाई राशि, पहले मिलते थे 15 हजार

पूर्व सैनिकों के 800 पद भरने की प्रक्रिया शुरू

बाजार में महिला डॉक्टर से सरेआम छेड़छाड़

'भर्तियों में धांधली'

धूमल बोले, सत्ता में आ...

सैनिक कल्याण विभाग अनाथ बच्चों को देगा आर्थिक मदद

अधिसूचना जारी; नाबालिगों को देगा दस हजार, इसी माह से मिलेगा लाभ

उमेश कुमार शर्मा
हमीरपुर।

पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को सैनिक कल्याण विभाग दस हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देगा। इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसी महीने से प्रभावी यह व्यवस्था खासकर ऐसे हालात के लिए की गई है, जब सैनिक और उन पर निर्भर पत्नी की मृत्यु हो जाए। अनाथ बच्चों के नाम से पेंशन की सुविधा देने में तीन महीने का वक्त लग जाता है। सैनिक कल्याण विभाग अनाथ बच्चों को दस हजार रुपये की एकमुश्त राशि जारी करेगा ताकि बच्चों को रोजमर्रा खर्च के लिए त्वरित सहायता मिल सके। सहायता राशि केवल नाबालिग अनाथ बच्चों को देने की व्यवस्था की गई है।

दरअसल, सैनिक की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन केस का निपटारा करने के लिए दस्तावेज संबंधी तीन महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे यदि अनाथ हो जाएं तो उन्हें इन तीन महीनों में रोजमर्रा खर्च के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग के अनुसार यह राशि केवल एक ही बार दी जाएगी, ताकि बच्चों को पेंशन सुविधा मिलने तक रोजमर्रा खर्च की व्यवस्था हो सके। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के अनाथ हुए नाबालिग बच्चों को अब दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित पूर्व सैनिक के ईलाज के लिए भी विभाग 25 हजार की आर्थिक सहायता देगा।

अब इलाज के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपये

हमीरपुर। गंभीर बीमारी से ग्रस्त पूर्व सैनिक को इलाज के लिए सैनिक कल्याण विभाग 25 हजार रुपये की राशि प्रदान करेगा। यह राशि उन्हीं पूर्व सैनिकों को मिलेगी जो ईसीएचएस योजना से सुविधा या केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा मिलने वाली 1.25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ न ले रहे हों। हालांकि ज्यादातर सैनिक ईसीएचएस सुविधा और केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता लेते हैं, लेकिन फिर भी विभाग ने बीमारी के ईलाज के लिए 25 हजार रुपये सैनिकों को आर्थिक सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया है।

युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सहायता राशि दो हजार बढ़ाई

पहले पुणे के इंस्टीट्यूट को प्रति सैनिक प्रदान किए जाते थे 85 हजार रुपये

उमेश कुमार शर्मा
हमीरपुर।

प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग देश में आतंकवादी ऑपरेशन या अन्य युद्ध में घायल होने वाले प्रदेश के सैनिकों को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन के दौरान प्रतिमाह दो हजार रुपये आर्थिक सहायता देगा।

सैनिक कल्याण विभाग सैनिकों को दोबारा सक्षम बनाने के लिए क्वीन मैरी टैक्निकल इंस्टीट्यूट पुणे भेजता है। यहां घायल सैनिकों का उपचार और उन्हें दोबारा सक्षम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। विभाग इंस्टीट्यूट को 85 हजार प्रति सैनिक प्रतिवर्ष सैनिकों की देखभाल और खानपान के लिए देता है। अब विभाग 85 हजार के अलावा सैनिकों की दिनचर्या की आवश्यकताओं के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह हर घायल सैनिक को देगा। सैनिक कल्याण विभाग यह दो हजार रुपये प्रति सैनिक को विभाग की अपनी निधि से देगा।

विभाग दो हजार रुपये अप्रैल से देना शुरू करेगा। इससे पहले इंस्टीट्यूट में उपचार करवाने वाले सैनिकों को विभाग से व्यक्तिगत मदद नहीं मिलती थी।

अब अप्रैल से घायल सैनिकों को यह राशि मिलेगी। अक्षम अंगों के सक्षम बनने के बाद सैनिक दोबारा सेना में अथवा अनुसार पद पर सेवाएं दे सकते हैं। उधर, प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग युद्ध में घायल सैनिकों को अगले वित्तीय वर्ष से दो हजार रुपये व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सैनिक को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देगा।

पहले विभाग 85 हजार रुपये प्रति सैनिक घायलों का उपचार और उन्हें ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को प्रतिवर्ष देता था। अब विभाग अपनी निधि से घायल सैनिकों की दिनचर्या की आवश्यकताओं के लिए दो हजार रुपये प्रति सैनिक हर माह देगा।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार राशि की दोगुना

प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल और फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी की अवार्ड राशि में बढ़ोतरी

उमेश कुमार शर्मा
हमीरपुर।

प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी में पहले मिलते थे 1500, अब मिलेंगे तीन हजार, फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड में मिलते थे 900, अब मिलेंगे दो हजार रुपये

प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल और फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड के तहत दमकल कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में दो गुना बढ़ोतरी हो गई है। इन अवार्ड के तहत दमकल कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नकद राशि देकर सम्मानित किया जाता है।

दोनों अवार्डों की राशि में दोगुना वृद्धि करने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। कर्मचारियों को अवार्ड की राशि का लाभ अप्रैल माह से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पूर्व प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड के तहत कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1500 रुपये इनामी राशि मिलती थी।

यह अब बढ़कर तीन हजार रुपये हो गई है। फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड में पहले कर्मचारियों को नौ सौ रुपये बतौर इनाम मिलते थे। यह अब बढ़कर दो हजार रुपये हो गए हैं। सरकार ने इसकी अधिसूचना छह जुलाई को जारी की है। सैनिक कल्याण विभाग को अधिसूचना की प्रतिलिपी 12 जुलाई को मिली है। उधर, प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल और फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड की राशि दोगुनी हो गई है। प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी के तहत कर्मचारियों को अब 1500 की बजाय तीन हजार और फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंटरी अवार्ड के तहत नौ सौ की बजाय अब दो हजार रुपये मिलेंगे।

450 पूर्व सैनिकों को मिलेगी नौकरी

सैनिक कल्याण निदेशालय मैट्रिक लेवल, जूनियर आफिस असिस्टेंट के लिए 28-29 को करेगा भर्ती

सुरेंद्र ठाकुर, हमीरपुर

राज्य के हजारों पूर्व सैनिकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सैनिक कल्याण निदेशालय ने भर्ती की तिथियां तय कर दी हैं। प्राथमिक चरण में 450 पदों पर भर्ती का आयोजन होगा। वहीं अगस्त के प्राथमिक सप्ताह में फिर से नौकरियों की बौछार हो जाएगी। इतने ही पद महज एक सप्ताह के अंतराल में फिर से भरने की तैयारी हो रही है। निदेशालय पूर्व सैनिकों की सूची तैयार कर रहा है। सूची बनते ही अगस्त में होने वाले साक्षात्कार की तिथि तय हो जाएगी। फिलहाल निदेशालय 28 व 29 जुलाई को पूर्व सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। जूनियर आफिस असिस्टेंट व मैट्रिक लेवल पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। मैट्रिक लेवल भर्ती में चौकीदार, टीमेट सहित अन्य शामिल रहेंगे। जल्द ही इसकी सूचना विभाग अपने वेबसाइट पर भी अपलोड कर देगा। मैट्रिक लेवल भर्ती 28 जुलाई को व जूनियर आफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती 29 जुलाई को होगी। सैनिक कल्याण निदेशालय परिसर में ही भर्ती प्रक्रिया का आयोजन होगा। जाहिर है कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के कोटे के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में भी इनके पद काफी समय से रिक्त हैं। योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण इन पदों पर तैनाती नहीं मिल पा रही है। इसी कड़ी में निदेशालय ने इस बार बड़े स्तर पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। जूनियर आफिस असिस्टेंट के लिए पूर्व सैनिकों का जमा दो पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक साल का कम्प्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य किया गया है। इन्हें टाइपिंग की परीक्षा से गुजरना होगा। हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

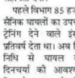

अगस्त में फिर नौकरियों की बौछार

जुलाई में पूर्व फौजियों की भर्ती के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में फिर से नौकरियों का पिटारा खोला जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग की मानें तो 800 से अधिक पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे। इनमें टीमेट, चौकीदार से लेकर शिक्षा विभाग तक के पद शामिल हैं। हरेक विभाग में कोटे के आधार पर पूर्व सैनिकों के पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार मिलने के बाद इनकी तैनाती होगी।

"जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक लेवल और जूनियर आफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती होगी। 28-29 जुलाई को भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते में इतने ही और पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। निदेशालय आगामी प्रक्रिया अमल में ला रहा है

ब्रिगेडियर एसके वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय

शहीद के परिवार को अब 50 हजार की फौरी राहत मिलेगी

35 हजार हिमाचल सरकार और 15 हजार सैनिक कल्याण विभाग देगा

उमेश कुमार शर्मा
हमीरपुर।

देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को अब सरकार और सैनिक कल्याण विभाग से 50 हजार रुपये की फौरी राहत मिलेगी। इसमें प्रदेश सरकार का 35 हजार और सैनिक कल्याण विभाग का 15 हजार रुपये का योगदान रहेगा। इससे पूर्व सरकार तथा विभाग शहीद होने वाले सैनिक के परिजनों को फौरी राहत के रूप में आर्थिक मदद नहीं देते थे। सरकार सैनिक के शहीद होने पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता देती है। सहायता राशि देने के लिए सरकार को दस्तावेजों संबंधी प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार माह का समय लग जाता है। इसके चलते सैनिक कल्याण विभाग ने सरकार से शहीद के परिजनों को 35 हजार रुपये फौरी राहत राशि देने की मांग की है। इसे सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है। अब शहीद सैनिकों के परिवार वालों को 35 हजार रुपये सरकार और 15 हजार रुपये फौरी राहत राशि विभाग की तरफ से प्रदान की जाएगी। इसके बाद दस्तावेजों संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पांच लाख रुपये की राशि भी सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को दी जाएगी। यह फौरी राहत राशि सरकार तथा विभाग की ओर से युद्ध में शहीद हुए सैनिक तथा किसी बीमारी, दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु के कारण शहीद हुए सैनिक के परिजनों को दी जाएगी। उधर, निदेशक सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि युद्ध या बीमारी के कारण शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सरकार और विभाग की तरफ से अब फौरी राहत के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें 35 हजार रुपये सरकार और 15 हजार रुपये विभाग की ओर से दिए जाएंगे।

इससे पहले आंशिक मदद ही दी जाती थी शहीद परिवारों को

कोचिंग के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलेंगे 6 हजार रुपए

अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना से कर सकते हैं संपर्क

ऊना, 11 अगस्त (कंवर): प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं के बच्चों को सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के लिए विशेष निधि से कोचिंग के लिए एकमुश्त दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दिया है। उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण ऊना मेजर रघवीर सिंह ने बताया कि विशेष निधि के तहत ही ऐसे पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को जिन्हे किसी भी प्रकार की पैंशन नहीं मिलती है तथा केवल सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर ही निर्भर हैं, उन्हें भी दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया है। इसी तरह गंभीर रोग से पीड़ित पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को चिकित्सा व्यय हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों की पैंशन स्वीकृति तक भरण पोषण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को भी बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पात्र पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं तथा अनाथ बच्चे अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

वीर सैनिकों का कल्याण सर्वोपरि

[illegible]

25 से शुरू होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती

[illegible]

नौकरी के लिए 24 तक करें आवेदन

[illegible]

पूर्व सैनिकों को नौकरी का मौका, 805 पद भरेंगे

कॉल लेटर इसी महीने, साक्षात्कार जुलाई में

उमेश कुमार शर्मा
हमीरपुर।

सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में 805 पदों पर भर्ती करेगा। जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में इन पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। इस महीने के अंत तक पात्र पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर भेजे जाएंगे।

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लिपिक के 350 पद, जेबीटी के 70, सीएंडवी और टीजीटी के 250, मैट्रिक स्तर पर 100 पदों और ड्राफ्ट्समैन के 35 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इन भर्तियों में लिपिकों की भर्ती 2014 के बैच और मैट्रिक स्तर पर भर्ती 2012 के बैच से की जाएगी। बाकी सभी पद अप टू डेट ही भरे जाएंगे। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

इससे पहले भी विभाग ने मई माह में पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में भर्तियां की हैं, लेकिन उस समय जेओए के बहुत कम पद भरे गए थे। कॉल लेटर पाने वाले अभ्यर्थी अपना नाम विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

जेओए, लिपिक, जेबीटी टीजीटी और ड्राफ्ट्समैन के पदों पर होंगी भर्तियां